

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ
जनहित याचिका संख्या – 152/ 2026

हसमत अली

...याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा अपर मुख्य सचिव, राजस्व विभाग, लखनऊ एवं 10 अन्य ... प्रतिवादी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता: – अजय प्रताप सिंह, आशुतोष सिंह

प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता :- मुख्य स्थायी अधिवक्ता, शैलेन्द्र सिंह चौहान

न्यायालय संख्या – 17

माननीय न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अजय प्रताप सिंह, राज्य के पक्ष से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री विकास राय, विपक्षी संख्या 3 और 6 के विद्वान अधिवक्ता श्री शैलेन्द्र सिंह चौहान को सुना और अभिलेखों का परिशीलन किया।
2. जनहित में दायर इस याचिका द्वारा याचिकाकर्ता ने वक्फ भूमि पर किए गए अतिक्रमणों को हटाने हेतु निर्देश जारी करने की मांग की है।
3. रिट याचिका में यह दलील दी गई है कि भूमि एक पंजीकृत वक्फ का कब्रिस्तान है और याचिकाकर्ता वक्फ का मुतवल्ली है।
4. विपक्षी दलों के विद्वान अधिवक्ता ने एक प्रारंभिक आपत्ति उठाई है कि वक्फ भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिए वक्फ के मुतवल्ली द्वारा दायर याचिका पोषणीय नहीं है और वक्फ के पास वक्फ अधिनियम की धारा 54 के अंतर्गत वैधानिक उपचार उपलब्ध है और यदि उसके बाद भी कोई शिकायत रह जाती है, तो याचिकाकर्ता के पास वक्फ अधिकरण के समक्ष उपचार उपलब्ध हो सकता है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5. उपरोक्त के दृष्टिगत याचिका को उपरोक्त स्वतंत्रता के साथ खारिज किया जाता है।

20 फरवरी, 2026

राम

(न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी)

Translated version. Not for legal use.